सं०सं०–16 / एम०1–37 / 2016 –

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

शम्भू शरण,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा :– वित्त विभाग।

पटना, दिनांक –

विषय :– पचास शैय्यायुक्त एकीकृत आयुष अस्पताल, नवाब मंजिल, पटना के संचालन हेतु आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिशा–निर्देश के आलोक में राजपत्रित एवं अराजपत्रित संवर्ग के कुल 36(छत्तीस) पदों के सृजन के संबंध में।

महाशय,

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक–14030 / 02 / 2016–H & D Cell दिनाक–15.02 2016 द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 मे राज्य वार्षिक कार्य योजना (State Annual Action Plan) के तहत पचास शैय्यायुक्त एकीकृत आयुष अस्पताल स्थापित करने हेतु स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की गयी है कि राज्य सरकार उक्त अस्पताल का डी0पी0आर0 एवं राष्ट्रीय आयुष मिशन के दिशा–निर्देश के आलोक मे अस्पताल के लिए आवश्यक पदो का सृजन करते हुए इसकी सूचना आयुष मंत्रालय, भारत सरकार को उपलब्ध करायेगी। इस कार्य हेतु आयुष मत्रालय द्वारा 102.695 लाख रूपये की राशि स्वीकृत किया गया।

2. पटना सिटी में नवाब मजिल के 2.5 एकड भूमि पर क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसधान सस्थान सचालित है, के प्रागण मे 50 (पचास) शैय्यायुक्त एकीकृत आयुष अस्पताल की स्थापना हेतु बिहार चिकित्सा सेवाए एव आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (BMSICL), पटना द्वारा भवन का निर्माण कराया जा चुका है।

3. राष्ट्रीय आयुष मिशन के मार्ग–दर्शिका के अनुलग्नक–IV में Setting up of upto 50 bedded Integrated AYUSH Hospitals के लिए वर्णित मानव बल की आवश्यकता हेतु 50 (पचास) शैय्यायुक्त एकीकृत आयुष अस्पताल, नवाब मजिल, पटना मे स्थायी / सविदा / आउटसोर्सिंग के माध्यम से पदो को स्वीकृत करने की सैद्धांतिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक–28(आ०चि०) दिनाक 06.01.2021 द्वारा दी गयी है।

4. राष्ट्रीय आयुष मिशन के दिशा–निर्देश के आलोक में 50 (पचास) शैय्यायुक्त एकीकृत आयुष अस्पताल, नवाब मंजिल, पटना के संचालन हेतु राजपत्रित एवं अराजपत्रित श्रेणी के कुल 36(छत्तीस) पदो का सृजन किया जाता है, जो अग्रलिखित है –

क्र0 सं0	पदनाम	पे बैन्ड	ग्रेड पे	लेवल	पदों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	मेडिकल सुपरीटेडेट	15600—39100	7600	12	1
2	सीनियर मेडिकल आफिसर (पचकर्म / क्षारसूत्र / होमियोपैथी / इलाज —बिद—तदबीर)	9300—34800	5400	9	3
3	मेडिकल ऑफिसर	9300—34800	5400	9	6
4	रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर	9300—34800	5400	9	1
5	उच्च वर्गीय लिपिक	5200—20200	2400	4	1
6	असिटेट मेट्रॉन	9300—34800	4800	8	1
7	नर्सिग स्टाफ	5200—20200	2400	4	12
8	पचकर्म तकनीशियन	5200—20200	1800	1	2
9	योगा इस्ट्रक्टर	5200—20200	1800	1	1
10	डिस्पेसर	5200—20200	1900	2	3
11	लैब टेकनीशियन	5200—20200	2800	5	2
12	स्टोर कीपर क्लर्क	5200—20200	1900	2	2
13	रजिस्ट्रेशन क्लर्क	5200—20200	1900	2	1
कुल पद					**36**

5. सृजित किये जाने वाले कुल 36 (छत्तीस) पदों पर 2,71,01,000/—(दो करोड एकहत्तर लाख एक हजार) रूपये वार्षिक व्यय का अनुमान है। वार्षिक व्यय पुनरीक्षित वेतनमान पर आधारित है।

6. क्रम सख्या—1 एव 2 तक के पदों पर निर्धारित वेतन स्तर 12 के गैर शैक्षणिक पदाधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा नियमित पदस्थापन किया जायेगा। उक्त पदों पर पदस्थापन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सर्वप्रथम आयुर्वेद प्रक्षेत्र से, उसके बाद होमियोपैथिक प्रक्षेत्र से, तत्पश्चात यूनानी प्रक्षेत्र से किया जायेगा। यह व्यवस्था निरन्तर रहेगा। पदस्थापित पदाधिकारियों के लिए वेतनादि का भुगतान हेतु अलग से शीर्ष खोला जायेगा। क्रम संख्या—3 से 13 तक के कर्मियों के मानदेय पर व्यय का वहन विपत्र कोड 20—2210022000202 के विषय शीर्ष 31 04 (सहायक अनुदान—वेतन) औषधीय पौधो संबधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन से विकलनीय होगा।

7 उपर्युक्त पदो में से क्रम सख्या—1 एवं 2 पर नियमित पदस्थापन, क्रम संख्या—3 से 13 तक के पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन किया जायेगा।

8 उपर्युक्त प्रस्ताव पर प्रशासी पदवर्ग समिति की दिनांक—21.02.2025 को एवं मत्रिपरिषद की बैठक दिनांक—08.04.2025 में मद सख्या—13 में स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

16.4.25

(शम्भू शरण)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक—16/एम०1—37/2016 — (आ०चि०)/पटना, दिनांक —

प्रतिलिपि— प्रभारी पदाधिकारी, ई— गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/कार्यपालक निदेशक, राज्य आयुष समिति, पटना/निदेशक, आयुर्वेद, होमियापैथी, यूनानी/मुख्य वन सरक्षक–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य औषधीय पादप बोर्ड, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–07 एवं 16 को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– अपर सचिव, मंत्रिमडल सचिवालय विभाग, राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनाक 08.04.2025 की बैठक के मद स0–13 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– सचिव, आयुष मत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/सचिव, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.4.25

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–16/एम०1–37/2016 – 586 – (आ०चि०)/पटना, दिनांक –16.4.2025

प्रतिलिपि– सभी सिविल सर्जन, बिहार/सभी जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार/सभी प्राचार्य/अधीक्षक/उपाधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, बिहार/प्रबंधक, राजकीय आयुर्वेदिक एव यूनानी औषध निर्माणशाला, पटना/अनुसधान पदाधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अनुसधान इकाई, पटना/उपाधीक्षक, दस शय्यायुक्त राजकीय होमियोपैथिक अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एव विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16.4.25

सरकार के अपर सचिव।